अपील सूचना अधिकार संख्या 157/2020 (GCMS 2020/00279) श्री सोना सिंह गांव निरवाणा सूरतगढ श्रीगंगानगर – मोबाईल नं. 88901-27515 बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

12.10.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सोना सिंह उपस्थित नहीं है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 22.09.2020 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत शासन सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की थी। नोडल अधिकारी, सूचना के अधिार एंव सहायक आयुक्त (खाद्य), राजस्थान सरकार के पत्रांक अपील संख्या 22/2020 जयपुर दिनांक 27.11.2020 से अपील इस कार्यालय को दिनांक 10.12.2020 को प्राप्त हुई है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.09.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

1. ग्राम निरवाणा से अगस्त माह से खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत क्या चना वितरित किया गया?
2. ग्राम निरवाणा में अगस्त माह से खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत क्या दाल वितरित की गई?
3. ग्राम निरवाणा में अगस्त माह से खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत वितरित दाल की मात्रा बताई जावे।
4. ग्राम निरवाणा में अगस्त माह से खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत वितरित चना की मात्रा बताई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:22:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक [illegible] सू.क.अ./2019/11336 दिनांक 29.09.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा दिनांक 22.09.2020 को प्रस्तुत प्रा.पा. में निम्नलिखित सूचना चाही गई है:

1. ग्राम निरवाणा से अगस्त माह से खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत क्या चना वितरित किया गया?
2. ग्राम निरवाणा में अगस्त माह से खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत क्या दाल वितरित की गई?
3. ग्राम निरवाणा में अगस्त माह से खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत वितरित दाल की मात्रा बताई जावे।
4. ग्राम निरवाणा में अगस्त माह से खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत वितरित चना की मात्रा बताई जावे।

इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 'च' में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ो संबंधि सामग्री शामिल है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र प022 16 प्रसू./सूअप्र/2010 जयपुर दिनांक 16.12.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना में 'क्यों' प्रश्न के उत्तर सम्मिलित नहीं है। रिट पैटीशन सं0 419/2007 डा0 सेलस पिण्टो बनाम गोवा राज्य में स्पष्ट किया गया है कि सूचना की परिभाषा के दायरे में क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं हो सकती। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना/सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:22:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र के बाहर है। अतः माननीय जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के अपील सूचना का अधिकारी संख्या 80/2020 के द्वारा सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों कें उत्तर देना अपेक्षित नहीं है सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र ये बाहर है चाही गई सूचना प्रश्नोत्तर के रूप में नहीं होनी चाहिए चुकिं खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकारी के तहत नहीं आता। अतः सूचनायें एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनों को आनुपातिक रूप से विचलित करता है। अतः आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना वर्जित है। चाही गई सूचनाएं विभाग द्वारा ऑनलाईन की हुई है। अतः आप विभाग की वेबसाइट food.rak.nic.on पर जाकर देख सकते हैं।

इस सम्बन्ध में आपको कोई उज्र हो तो आप 30 दिवस की अवधि में प्रथम अपील अधिकारी श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को अपील कर सकते हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:22:59 IST
Reason: SelfAttested

sd/-
सहायक अधिकारी
जिला अभिलेखागार
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का उत्तर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 29.09.2020 दिया जा चुका है, जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं प्रश्नात्मक है, इसलिए देय नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। **तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।** इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को जो उत्तर दिनांक 29.09.202 को दिया है, वह सही है और उसमें किसी प्रकार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:22:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति **जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:22:59 IST
Reason: SelfAttested